



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012024-251557
CG-DL-E-22012024-251557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2024/माघ 2, 1945

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2024/MAGHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

संख्या 05/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 55(अ).—वित्त अधिनियम 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. संख्या 69 (अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 15घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15ड	7112	स्पेंट केटलिस्ट या राख जिसमें कीमती धातु अंतर्विष्ट हो ।	4.35%
15च	7113	गोल्ड या सिल्वर फाइनडिंग्स स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "गोल्ड या सिल्वर फाइनडिंग्स" से लघुघटक जैसे आभूषण के स्थान में टुकड़े के पूरे या भागतः में प्रयोग किये जाने वाले हुक, क्लैप, पिन, कैच , स्क्रूबैक अभिप्रेत है ।	5%
15छ	7118	बहुमूल्य धातुओं के सिक्के	5%”

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/4/2024-टीओ (टीआरयू-1)]

राकेश दहिया, निदेशक

टिप्पणी: -मूल अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021 को सा.का.नि.सं. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2023, जिसे सा.का.नि.सं. 643 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2024

No. 05/2024 - Customs

G.S.R. 55(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021 – Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, after Sl. No. 15D and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted , namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“15E.	7112	Spent catalyst or ash containing precious metals	4.35%
15F.	7113	Gold or silver findings Explanation: For the purposes of this entry, “gold or silver findings” means	5%

		a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of jewellery in place	
15G.	7118	Coins of precious metals	5% ”.

[F. No. CBIC-190341/4/2024-TO(TRU-I)]

RAKESH DAHIYA, Director

Note: - The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended *vide* notification No. 51/2023-Customs, dated the 31st August, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 643(E), dated the 31st August, 2023.